झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–05/2020–4312 व०प०, राँची, दिनांक–12/12/25

प्रेषक,

चन्द्रशेखर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सहायक वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड,
मुख्यालय, हरमू चौक, राँची–834002

विषय :– मेसर्स पावरग्रिड द्वारा 400 K.V. D/C पतरातू–लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु संशोधित कुल–126.974 हे0 (लातेहार वन प्रमंडल–55.865 हे0, रामगढ़ वन प्रमंडल–12.247 हे0 एवं राँची वन प्रमंडल–58.862 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्र संख्या–FP/JH/TRANS/32955/2018/1291 दिनांक–20.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–927 दिनांक–21.11.2025 से मूल प्रस्ताव अनुशंसा के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्राप्त है। उक्त प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

निदेशानुसार विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के अनुमोदनोंपरांत निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(1) वनभूमि की वैधानिक स्थितिं यथावत् रहेगी।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित 126.974 हे0 वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करनी होगी।

(3) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु नियमानुसार ससमय सभी कार्रवाई प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।

(4) प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध चिन्हित कुल–275.65 हे0 अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(5) वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन संरक्षक/नोडल पदाधिकारी/PSC-II द्वारा की गई अनुशंसा/स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(6) CWLW द्वारा प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(7) FRA, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) F.C. Act, 1980 तथा इसके तहत् निर्गत दिशा–निदेशों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(9) विषयक प्रस्ताव में किए गए उल्लंघन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में Penal Provision का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।

(10) अन्य सामान्य, मानक एवं विशिष्ट शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
(चन्द्रशेखर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–वन भूमि–05/2020–4312 व०प०, राँची, दिनांक–12/12/25

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–वन भूमि–05/2020–4312 व०प०, राँची, दिनांक–12/12/25

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/प्रबंधक, पावरग्रिड, 360/A, ममता भवन रोड नं0–4B, अशोक नगर, राँची–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 126.974 ha of Forest Land for 400 KV D/C Patratu-Latehar Transmission Line.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 126.974 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no...4312... dated-.12/12/25...

Rajdeep Sanjay Lal John
Special Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Special Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi